संख्या-59/2021/633/71-3-2021-12/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 30 अप्रैल, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बजट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में निम्न विवरणानुसार प्राविधानित धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि
1	मेडिकल कालेज, देवरिया	2210-05-105-03-0353	83.33
2	मेडिकल कालेज, एटा	2210-05-105-03-0348	83.33
3	मेडिकल कालेज, फतेहपुर	2210-05-105-03-0351	83.33
4	मेडिकल कालेज, गाजीपुर	2210-05-105-03-0354	83.33
5	मेडिकल कालेज, हरदोई	2210-05-105-03-0349	83.33
6	मेडिकल कालेज, मीरजापुर	2210-05-105-03-0355	83.33
7	मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़	2210-05-105-03-0350	83.33
8	मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	2210-05-105-03-0352	83.33
9	मेडिकल कालेज, जौनपुर	2210-05-105-03-0386	62.50

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-59/2021/633(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।